342

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या : 814 /I/2013-01(3)/17/05
देहरादून : दिनांक : 23 मई, 2013

उरेडा
पत्र प्राप्ति सं० 710
दिनांक 23/5/13

अधिसूचना संख्या– 800/I/2013-01(3)/17/05 दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड ऊर्जा दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण से सम्बन्धित दिशा–निर्देश, 2013"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
14. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
15. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. गार्ड फाईल।

संलग्नक :– यथोक्त।

आज्ञा से,
(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

243

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग
संख्या ८८० /I/2013-01(3)/17/05
देहरादून, दिनाँक : २१ मई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 52 वर्ष 2001) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय में विद्यमान समस्त आदेशों/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा के दक्षता पूर्वक उपयोग तथा उसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी करते हैं :–

उत्तराखण्ड ऊर्जा का दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण से सम्बन्धित दिशा–निर्देश, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन दिशा–निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा का दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण से सम्बन्धित दिशा–निर्देश, 2013 है।

(2) ये दिशा–निर्देश तुरन्त प्रवृत्त होगें।

सौर जल तापन प्रणाली का अनिवार्य उपयोग

2. (1) राज्य में अवस्थित निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के प्रतिष्ठानों एवं भवनों में सौर जल तापन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य होगा; अर्थात्–

(क) प्रसंस्करण हेतु गर्म पानी की आवश्यकता वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान;

(ख) सरकारी अस्पतालों सहित अर्द्धसरकारी तथा निजी अस्पताल और नर्सिंग होम;

(ग) होटल, मोटल्स और बैंक्वेट हॉल;

(घ) जेल बैरक, कैंटीन;

(ङ) ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवास बोर्ड द्वारा स्थापित आवासीय परिसर;

(च) राज्य के नगर निकायों की सीमा के अन्तर्गत 500 वर्ग गज या इससे अधिक भूमि खण्डों में निर्मित भवन;

(छ) सभी सरकारी भवन, आवासीय स्कूल, शैक्षणिक संस्थाय, हॉस्टल, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण

संस्थान, पर्यटन परिसर और विश्वविद्यालय आदि।

(2) सर्वोत्तम रूप से डिज़ायन की गई गुणवत्ता पूर्ण प्रणालियों का संस्थापन सुनिश्चित करने के लिये उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) सौर जल तापन प्रणाली की आपूर्ति और संस्थापना हेतु एक अनुमोदित स्रोत के रूप में कार्य करेगी।

(3) सौर तापन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य बनाने के लिये शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आदि सभी पारम्परिक विभागों को इन निर्देशों के जारी होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर अपने नियमों/उपविधियों में तदनुसार संशोधन करना अनिवार्य होगा।

(4) निर्धारित प्ररूप में प्रत्येक त्रैमासिक में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को प्रशासन के निर्णयों के प्रवर्तन की प्रगति की रिपोर्ट करने व मॉनीटर करने के लिये उपनिर्देश (3) में उल्लिखित विभाग एक–एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना के लिए सांकेतिक दिशा–निर्देश

3. (1) सौर जल तापन की प्रणाली की क्षमता, भवन विशेष की आवश्यकतानुसार निर्धारित होगी।

(2) (क) नये भवनों में खुली जगह जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, पर प्राविधान किया जाना होगा, छत की भार वहन क्षमता कम से कम 50 कि0ग्रा0 प्रति वर्गमीटर होनी आवश्यक होगी। उक्त श्रेणियों के सभी नए भवनों को उपयोग में लाने से पूर्व इनमें सौर जल तापन प्रणाली की स्थापना पूर्ण करनी होगी;

(ख)उक्त श्रेणियों के भवनों के उपयोग में परिवर्तन के समय, उपनिर्देश (1) के अनुसार वर्तमान भवन में सौर सहायतित जल तापन प्रणाली की संस्थापना आवश्यक होगी, बशर्ते कि गर्म जल की आपूर्ति हेतु कोई प्रणाली या संस्थापना विद्यमान हो।

(3) सौर सहायतित जल तापन प्रणाली की स्थापना भारतीय मानक विनिर्देश ब्यूरो के मानकों के अनुरूप होगी। सौर प्रणाली में उपयोग किये जाने वाले कलेक्टर भारतीय मानक प्रमाणन (ISI) चिह्न वाले होंगे या फर्म को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE),

भारत सरकार के मंत्रालय के पैनल में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

(4) सभी सौर जल तापन प्रणालियों में स्वचालित इलैक्ट्रिक बैकअप सिस्टम होगा ताकि कम धूप या धूप की अनुपलब्धता/बादल वाले मौसम के दिनों में भी यह संचालन में रहे।

(5) भवन का डिज़ायन बनाते समय ही यह प्राविधान रखा जाना आवश्यक होगा कि उन सभी स्थानों, जहां गर्म जल या गर्म हवा की आवश्यकता है, छत से विभिन्न वितरण पोइन्ट्स तक एक इन्सुलेटेड पाईप लाईन हो।

(6) सौर जल तापन प्रणाली यथा संभव प्राथमिक रूप से भवन की छत पर समेकित की जायेगी ताकि पैनल्स छत का एक अविभाज्य अंग बन जाये। अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त करने के लिये छतों पर सोलर एयर/वाटर कलैक्टर्स/ग्रीन हाउसेज़ और सन स्पेजेज़ की अनुमति होगी।

सरकारी भवनों/ सरकार सहायतित संस्थानों/परिषदों/ निगमों में कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), एनर्जी एफ़िशन्ट् लाइट्स/ रेट्रोफिट एसेंबली का अनिवार्य उपयोग

4. (1)(क) सरकारी क्षेत्रों/सरकार सहायतित क्षेत्रों/परिषदों और निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में निर्मित सभी नये भवनों/संस्थानों में तापदीप्त लैम्प्स (Incandenscent Lamp) का उपयोग तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा;

(ख) विद्यमान भवनों में दोषयुक्त तापदीप्त लैम्प्स (Incandenscent Lamp) को बदलने पर यह अनिवार्य होगा कि केवल कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल) ही लगाये जायें;

(ग) सरकारी क्षेत्रों/सरकार सहायतित क्षेत्रों/परिषदों और निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में निर्मित सभी नये भवनों/संस्थानों में ब्लास्ट के साथ वाली 40 वाट की परम्परागत ट्यूब लाईट्स का उपयोग तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा। ये सरकारी क्षेत्रों/ सरकार सहायतित क्षेत्रों/परिषदों और निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाएं केवल ऐसी ऊर्जा बचत वाली ट्यूब लाईट्स का उपयोग करेंगे, जिनका ल्युमन आउटपुट 80lm/w (5 स्टार रेटेड) या इससे अधिक हो;

(घ) विद्यमान भवनों में ब्लास्ट के साथ वाली परम्परागत 40 वाट की

ट्यूब लाईट्स जब बदली जाये तो यह अनिवार्य होगा कि उनके स्थान पर केवल ऐसी कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), लाईट्स लगाई जायें, जिनका ल्युमन आउटपुट 80lm/w (5 स्टार रेटेड) या इससे अधिक हो;

(ङ) विद्यमान भवन जहां परम्परागत वायर वाउंड बैलास्ट्स (चोक्स) के साथ वाली फ्लुअरसेंट ट्यूब्स का उपयोग किया जा रहा है वहां यह अनिवार्य होगा कि इन निदेर्शों के जारी होने के 12 माह के भीतर इन्हें बदल कर इलेक्ट्रौनिक बैलास्ट्स लगाये जायें;

(च) नये संयोजन/भार निर्गत/स्वीकृत करते समय परम्परागत बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये इन निदेर्शों के जारी होने के 2 माह के भीतर ऊर्जा कंपनियां भार मांग नोटिसो में आवश्यक संशोधन करेंगी।

(2) कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल) और टी–5 (28 वाट) ट्यूब लाईट्स का अनिवार्य उपयोग :–

(क) 30 कि.वा. या इससे अधिक संयोजित भार वाले सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थापन क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), और/या टी–5 (28 वॉट) ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाईट्स और/या लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स का उपयोग अनिवार्य होगा;

(ख) राज्य में स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों में कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल), और/या टी–5 (28 वॉट) ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाईट्स और/या लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स का उपयोग अनिवार्य होगा। इन श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को अपने संस्थानों में सभी परम्परागत बल्बों और ट्यूब लाईट्स को बदल कर अपनी स्वयं की लागत पर 31 मार्च, 2014 या उससे पहले कॉम्पैक्ट फ्लुअरसेंट लैम्प (सीएफएल)/लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स/टी–5 (28 वॉट) ट्यूब लाईट्स लगाने होंगे।

टिप्पणीः इन निदेर्शों के अनुपालन न होने पर ऊर्जा कम्पनियों के पास

उपरोक्त समय सीमा की समाप्ति के पश्चात विधिवत् नोटिस जारी करने के उपरान्त विद्युत संयोजन विच्छेदित करने की शक्ति होगी। ऊर्जा कम्पनी का कार्यपालक अभियन्ता (वितरण) इन निर्देशों को लागू करने के लिये प्रवर्तक अधिकारी होगा तथा वह इस संबंध में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को प्रत्येक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा।

कृषि क्षेत्र में स्टार लेबल्ड मोटर पम्प सेट्स, पावर कैपेसिटर, फूट/रिफ्लैक्स वाल्वस का अनिवार्य उपयोग

5. (1) उत्तराखण्ड में सभी नये ट्यूबवेल संयोजनों के लिये आई0एस0आई0 मार्क पम्पस/स्टार लेबल्ड मोटर पम्प एवं उप सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा।

(2) इन निदेशों के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर उत्तराखण्ड की ऊर्जा कम्पनी नये नलकूप संयोजनों के लिये आई0एस0आई0 मार्क पम्प/फुट वाल्वस हेतु भार मांग नोटिसों में संशोधन करेगा।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का उपयोग करने वाले ऊर्जा दक्ष भवन डिज़ायन को बढ़ावा

6. (1) उत्तराखण्ड की जलवायु संबंधी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) विकसित की गई है। ये संहिता उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) की वेबसाईट www.ureda.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(2) सरकारी/सरकारी सहायतित क्षेत्र में निर्मित होने वाले सभी भवन इन निदेशों के दिनांक से अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों सहित ईसीबीसी पर आधारित ऊर्जा दक्ष भवन डिज़ायन को सम्मिलित करेंगे।

(3) सरकारी/सरकारी सहायतित क्षेत्र में भविष्य में निर्मित होने वाले सभी भवनों में आवास विभाग ईसीबीसी पर आधारित ऊर्जा दक्ष भवन डिजायन को सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगा। आवास विभाग में एक समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि सरकारी/सरकारी सहायतित क्षेत्र में निर्मित होने वाले सभी भवनों की योजनाओं/ड्रॉईंग्स में ऊर्जा दक्ष भवन डिज़ायन की संकल्पना की सभी विशेष बातों को सम्मिलित करना सुनिश्चित किया गया है।

(4) आवास विभाग इन उपायों के समन्वय और अनुश्रवण के लिये एक नोडल अधिकारी नामित करेगा, जो निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट देगा।

ऊर्जा दक्ष वाली स्ट्रीट लाईट्स का अनिवार्य उपयोग

7. शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचित शहरी क्षेत्रों और सभी विद्यमान तथा नई कालोनियों, आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक सम्पदाओं, आवासीय परिसरों, कॉलोनियों तथा निजी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं द्वारा विकसित की गई नगरों के लिए टी–5 ट्यूब लाईट्स/लाईट एमिटिंग डायओड्स (एलईडी) लैम्प्स का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा दक्ष लाईटिंग फिक्सचर्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पथ प्रकाश हेतु उत्तरदायी उपरोक्त संगठनों को स्वयं के व्यय पर 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व पारम्परिक स्ट्रीट लाईट्स को बदलना होगा तथा ऊर्जा दक्ष वाली स्ट्रीट लाईट्स लगानी होंगी।

टिप्पणीः इन निर्देशों के अनुपालन न होने पर ऊर्जा कंपनियों के पास उपरोक्त समय सीमा की समाप्ति के पश्चात विधिवत् नोटिस जारी करने के उपरान्त विद्युत संयोजन विच्छेदित करने की शक्ति होगी। ऊर्जा कम्पनी का कार्यपालक अभियन्ता (वितरण) इन निर्देशों को लागू करने के लिये प्रवर्तक अधिकारी होगा तथा वह इस संबंध में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा।

आज्ञा से,

(बी0पी0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

Institutions, District Institutes of Education and Training, Tourism Complexes and Universities etc.

(2) The Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA) will act as approved source for supply and installation of solar water heating systems to ensure the installation of optimally designed quality systems as per the specifications.

(3) All the line departments like, Urban Development Department, Public Works Department, Housing Department, Medical and Health Department etc. accordingly will amend their rules/bye-laws within a period of three months from the date of issue of these directions to make the use of solar water heating systems mandatory.

(4) The departments mentioned in sub-direction (3) will designate a Nodal Officer to monitor and report the progress of enforcement of the Administration's decisions to the Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA), on quarterly basis in the prescribed form.

Indicative Guidelines for Installation of Solar Water Heating Systems

3. (1) The capacity of the Solar hot water system is to be determined as per the requirement of particular building.

(2) (a) New buildings should have open space on the rooftop which receives direct sun light. The load bearing capacity of the roof shall at least be 50 Kg. per Sqm. All new buildings of above categories must complete installation of solar water heating system before putting the same in use;

(b) Installation of solar assisted water heating systems in the existing building as given in sub-direction (1) shall be required at the time of change of use to above said categories, provided there is a system or installation for supplying hot water.

(3) Installation of solar assisted water heating systems shall conform to Bureau of Indian Standards specification. The solar collectors

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /I/2013-01(3)/17/05, Dehradun, dated May, 2013 for general information.

Government of Uttarakhand
Energy and Renewable Energy Department
No. 800 /I/2013-01(3)/17/05
Dehradun, Dated : 21 May, 2013

Notification

In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act No. 52 of 2001), in supersession of all existing orders/directions, the Governor is pleased to make the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Uttarakhand :-

The Uttarakhand Regarding Efficient Use of Energy and Its Conservation Directions, 2013

Short title and Commencement

1. (1) These directions may be called the Uttarakhand Regarding Efficient Use of Energy and Its Conservation Directions, 2013.
   (2) These directions shall come into force at once.

Mandatory use of Solar Water Heating Systems

2. (1) The use of solar water heating systems will be mandatory in the following categories of buildings; namely:-
   - **(a)** Industries where hot water is required for processing;
   - **(b)** Semi-Governmental and Private Hospitals and Nursing homes with Government Hospitals;
   - **(c)** Hotels, Motels and Banquet halls;
   - **(d)** Jail Barracks, Canteens;
   - **(e)** Housing Complexes established by Group Housing Societies/ Housing Boards;
   - **(f)** All residential buildings built on a plot of size 500 square yards and above falling within the limits of Municipal Bodies of the State;
   - **(g)** All Government buildings, residential Schools, Educational Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education

used in the system shall have the Bureau of Indian Standards certification mark (ISI) or firm should be empanelled with Ministry of New And Renewable Energy (MNRE), Govt. of India.

(4) There shall be an automatic electric backup system in all solar water heating systems so that the same may be functional during cloudy or low/non sunshine days.

(5) Provision in the building design itself shall be kept for an insulated pipeline from the rooftop in the building to various distribution points where hot water or hot air is required.

(6) The solar water heating system shall be integrated preferably in roof of the building, wherever possible, so that the panels become integral part of the roof. The solar air /water collectors/ Green houses/Sunspaces on the roof for receiving maximum solar radiation shall be allowed.

Mandatory use of Compact Fluorescent Lamp (CFL), Energy efficient tube light system / Retrofit assembly in Government Buildings/Government Aided Institutions/ Boards/ corporations.

4. **(1)(a)** The use of incandescent lamps in all new buildings/institutions constructed in Government sector/Government aided sector/ Board and Corporation/ Autonomous bodies is banned with immediate effect;

(b) It will be mandatory that in existing buildings the defective incandescent lamps when replaced would be replaced by only compact fluorescent lamps (CFL);

(c) The use of 40 watt conventional tube lights with blast in all new buildings/institutions constructed in Government sector/ Government aided sector/Boards and Corporations/ Autonomous Bodies is banned with immediate effect. These buildings/institutions constructed in Government sector/ Government aided sector/Boards and Corporations/ Autonomous Bodies shall use only energy efficient tube light having lumen out put of 80 lm/w or more (5 star rated);

(d) It shall be mandatory that in existing buildings, the defective

40 watt conventional tube lights with blast, when replaced, would be replaced by only energy efficient tube light having lumen out put of 80 lm/w or more (5 star rated);

(e) It shall be mandatory that in existing building using conventional fluorescent tubes fitted with wire wound ballasts (chokes) to replace these ballasts with electronic ballasts within 12 months of issue of these directions;

(f) Power utilities will affect necessary modification in the load demand notices within two months time from the date of issue of these directions to promote the use of Compact Fluorescent Lamps instead of conventional bulbs while releasing/ sanctioning new connections/loads.

(2) Mandatory use of Compact Fluorescent lamps (CFLs) and T-5 (28 watt) Tube Lights:

(a) The use of Compact Fluorescent Lamps (CFLs) and /or T-5 (28 watt) energy efficient tube lights and/or Light Emitting Diode (LED) lamps shall be mandatory for all electricity consumers in industrial, commercial and institutional sectors having connected load of 30 Kilo Watt or above;

(b) In all Central Government Offices and Central Public Sector Undertaking Institutions/establishments located in the State, the use of Compact Fluorescent Lamps (CFLs) and/or T-5 (28 Watt) energy efficient tube lights and/or Light Emitting Diode (LED) lamps shall be mandatory.

The consumers under the above categories shall have to replace all conventional bulbs and tube lights in their establishments with CFLs/Light Emitting Diode (LED) Lamps/T-5 (28 watt) tube lights on or before 31st March, 2014 at their own cost.

Note:-- In case of non-compliance of these directions, the Power Utilities shall have the power to disconnect the electricity connections after serving due notice after the expiry of the

deadlines mentioned above. The Executive Engineer (Distribution) of the Power Utilities shall be the enforcing authority of these directions and they shall send quarterly progress reports in this regard to the Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA).

Mandatory use of Star Labeled Motor pump sets, Power capacitor, Foot/ Reflex valves in Agriculture Sector	5	(1) For all new tube-well connections in Uttarakhand, the use of ISI marked pumps/ Star Labeled motor pump sets and accessories will be mandatory. (2) The power utilities of Uttarakhand will make the amendments in the load demand notices for tube well connections within three months time from the date of issue of these directions to ensure use of only ISI marked pumps in Uttarakhand
Promotion of Energy Efficient Building Design using Energy Conser-vation Building Codes (ECBC)	6	(1) Energy Conservation Building Codes (ECBC) has been developed in respect of climate condition of Uttarakhand, these codes are available with Uttarakhand Renewable Energy Development Agency website i.e. www.ureda.uk.gov.in (2) All the new buildings to be constructed in the Government/ Government Aided Sector will incorporate energy efficient building design concepts based on the ECBC including Renewable Energy Technologies with effect from the date of these directions. (3) The Housing Department will ensure the incorporation of energy efficient building design concepts based on the ECBC in all buildings to be constructed in future in the Government/ Government Aided Sector. A committee shall be formed in the Housing Department to examine all new building plans/drawings to be constructed in the Government/Government Aided sector to ensure that all the features of the energy efficient building design concepts, have been incorporated in these. (4) The Housing Department will designate a nodal officer for coordination and monitoring of these measures who will report

the progress in this regard to the Director, Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA), Uttarakhand.

Mandatory use of Energy Efficient Street Lights	7	It shall be mandatory that the street lighting in all existing and new colonies and urban areas notified by the Urban Development Department, Residential sectors, Industrial estates, housing complexes, colonies and townships developed by private/semi government/autonomous institutions shall use energy efficient street lighting fixtures using T-5 tube lights/Light Emitting Diode (LED) Lamps. The above said organizations responsible for street lighting systems shall have to replace the conventional street lights and install energy efficient street lights on or before 31st March, 2014 at their own cost. **Note:--** In case of non-compliance of these directions, the Power Utilities shall have the power to disconnect the electricity connections after serving due notice after the expiry of the deadlines mentioned above. The Executive Engineer (Operation) of the Power Utilities Department shall be the enforcing authority of these directions and they shall send quarterly progress reports in this regard to the Director, Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA).

By Order,

(B.P. Pandey)
Principal Secretary.